न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 245 / 2018

RCMS Case No. 2018 / 00309

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थी:—
सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन		1. नेनाराम पुत्र दुर्गाराम जाति बावरी निवासी बिठुडा कला तहसील मारवाड़ जंक्शन

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

—:: आदेश ::—

दिनांक 18/6/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर कार्यवाही की जाती है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बिठुडा कला तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा नम्बर 386, 386 / 1834 कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 1.7579 हैक्टेयर किस्म बा0दो0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी द्वारा भूमि क्रय करने से बेचान रजिस्ट्री के आधार पर दायर नामान्तरकरण संख्या 903 के द्वारा किया गया है। उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 268 थे, जिसकी किस्म गै0मु0 नदी थी। भू—प्रबन्ध के दौरान उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 383, 384 व 386 बने, जिसकी किस्म बा0दो0 दर्ज की गई, जो भू आवंटन अधिकारी खारची द्वारा दिनांक 22.02.1976 को रूपला पुत्र भूरा कौम बावरी को आवंटन किये जाने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 29 के आवंटी का नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। चूंकि इस भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी थी, जिसका गै0मु0 नदी का आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम बिठुडा कलां के नामान्तरकरण संख्या 29 एवं इसके क्रम में दायर नामान्तरकरण संख्या 241, 642, 897 व 903 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम बिठुडा कला तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा नम्बर 386, 386 / 1834 कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 1.7579 हैक्टेयर किस्म बा0दो0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 268 थे, जिसकी किस्म गै0मु0 नदी थी। भू—प्रबन्ध के दौरान उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 383, 384 व 386 बने, जिसकी किस्म बा0दो0 दर्ज की गई, जो भू

अति. जिला कलेक्टर, पाली

आवंटन अधिकारी खारची द्वारा दिनांक 22.02.1976 को रूपला पुत्र भूरा कौम बावरी को आवंटन किये जाने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 29 के आवंटी का नाम बतौर गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इसके पश्चात आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होन के बाद आवंटी द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 22.12. 2001 को अप्रार्थी को बेचान की गई, जिसके आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 903 के अप्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया चूंकि उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 268 की किस्म गै0मु0 नदी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आंवटन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. वाला दर्ज की जानी हैं। अतः भू आवंटन अधिकारी खारची द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में भू आवंटन अधिकारी खारची के आदेश दिनांक 22.04.1976 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम बिठोडा कला तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 29 एवं इसके क्रम में दायर नामान्तरकरण संख्या 241, 642, 897 व 903 को निरस्त करवाने का श्रम करावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली